फर्द अहकाम

कार्यालय सहायक कलक्टर(SDO) मावली, उदयपुर

प्रार्थी : प्रधानाचार्य रा.उ.मा.वि. थामला — विपक्षी : श्री राज्य

किस्म मुकदमा –88 रा.का. अधिनियम — पत्रावली संख्या : 199/21

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	इस्तकार पक्षों अथवा वकीलों के दस्तखत
	दिनांक : 25.11.2021	

पत्रावली प्रशासन गांवो के संग अभियान–2021 कैम्प थामला में पेश होने पर दर्ज रजिस्टर होकर पेश हुई। वादी द्वारा वाद पेश कर निवेदन किया कि मौजा थामला की आराजी नम्बर 1481 किस्म स्कूल एवं आराजी नम्बर 1482 किस्म आ.कुडी दर्ज होकर श्री समस्त वासीन्दगान गांव के नाम दर्ज हैं जबकि मौके पर उक्त आराजीयात पर स्कूल का भवन बना होकर लगभग 71 वर्षो से स्कूल का भवन बना होकर स्कूल संचालित होना बताया हैं। राजस्व रेकार्ड में स्कूल का नाम नहीं होने से स्कूल के विकास में कठिनाई आ रही हैं। इसलिए वाद स्वीकार स्कूल के नाम भूमि दर्ज किया जाने का निवेदन किया। प्रतिवादी राजपेरोकार को तलब किया गया। तहसीलदार मावली द्वारा स्वीकारात्मक जवाब पेश कर वाद को स्वीकार किया जाने पर कोई आपत्ति जाहिर नहीं की। उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेज का अध्ययन किया। वादी द्वारा प्रकरण में घोषणा का वाद प्रस्तुत किया। प्रतिवादी राजपेरोकार द्वारा स्वीकारात्मक जवाब पेश कर वाद को स्वीकार किया जाने पर कोई आपत्ति जाहिर नहीं की। प्रकरण में वादग्रस्त आराजी नम्बर 1481 रकबा 0.1619 किस्म स्कूल एवं आराजी नम्बर 1482 रकबा 0.0081 किस्म आ.कुडी होकर राजस्व रेकार्ड में श्री समस्त वासीन्दगान गांव हिस्सा पूर्ण खातेदार के नाम दर्ज हैं। प्रकरण में तहसीलदार मावली द्वारा अपनी रिपोर्ट में करीब 70 वर्षों से अधिक समय से स्कूल का भवन बना होकर विद्यालय के कब्जे में होना बताया हैं। सरपंच ग्राम पंचायत थामला द्वारा भी स्वीकारात्मक जवाब पेश किया हैं। अतः प्रकरण में लम्बे समय से विद्यालय का कब्जा होकर विद्यालय संचालित है किस्म के रूप में भी स्कूल दर्ज हैं। राजस्व रेकार्ड में विद्यालय का नाम दर्ज नहीं होने से विद्यालय का विकास करने में काफी कठिनाई का सामना करना पड रहा हैं। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर 70 वर्षों से अधिक समय से विद्यालय का भवन बना होकर विद्यालय संचालित होने एवं किस्म स्कूल होने से विद्यालय उक्त भूमि को अपने नाम दर्ज कराने का अधिकारी हैं। अतः वादी का वाद [illegible] स्वीकार योग्य पाया जाता हैं।

Signature Not Verified

Digitally signed by Mayank Manish
Date: 2022.01.03 13:14:54 IST
Reason: SelfAttested

—: आदेश :—

परिणामस्वरूप वाद वादी अन्तर्गत धारा 88 राज.का.अधिनियम का स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है कि मौजा थामला पटवार हल्का थामला की आराजी नम्बर 1481 रकबा 0.1619 एवं आराजी नम्बर 1482 रकबा 0.0081 भूमि में वादी प्रधानाचार्य रा.उ.मा.वि. थामला को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता हैं। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो। डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय सुनाया गया।

सहायक कलक्टर (SDO)

मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO) मावली, जिला–उदयपुर

पीठासीन अधिकारी : श्री मयंक मनीष, I.A.S

उनवान

1. प्रधानाचार्य, रा.उ.मा.वि. थामला तह. मावली।

..................वादी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार मावली तह. मावली।

.............प्रतिवादी

वाद अन्तर्गत धारा 88 राज.काश्तकारी अधिनियम

मुकदमा न0 : 199/21 (वाद) GCMS No. – 2021/437

यह मुकद्धमा आज वास्ते इन्फिसाल कतई रुबरु मयंक मनीष, I.A.S. मिनजानिब मुद्धायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि :–

Signature Not Verified
Digitally signed by Mayank Manish
Date: 2022.01.03 13:14:54 IST
Reason: SelfAttested

वाद वादी अन्तर्गत धारा 88 राज. का. अधिनियम का स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है कि मौजा थामला पटवार हल्का थामला की आराजी नम्बर 1481 रकबा 0.1619 एवं आराजी नम्बर 1482 रकबा 0.0081 भूमि में वादी प्रधानाचार्य रा.उ.मा.वि. थामला को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता हैं।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख 25.11.2021 को जारी की गई।